



प्रेस नोट दि0 04.06.22



प्रेस नोट

दिनांक 04.06.2022 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार । कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक चोरी की स्कूटी की गयी बरामदा

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मुनीराज जीके कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण 0 महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्तिवाहन व तलाश वांछित अ/पराधी, रात्रि गस्त के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 03.06.23 को समय करीब 022.बजे वन विभाग का जंगल 38 चौकी क्षेत्र लालबाग में दो बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना लोनी बार्डर के हिस्ट्रीशीटर दीपक पुत्र विष्णु गार्डन भागमल चौक क कालीचरन नि0 े पास थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद को बोर 315 तमंचा 01 बोर व घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी एक्टिवा चैसिंस न0 315 खोखा कारतूस 01 जिन्दा कारतूस व 02 व ME4JF507JH8150357 ई013233 एफआईआर न0-/पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच -थाना ई 2022 दिल्ली के गिरफ्तार किया गया ।

अभिद्वारा बताया गया कि यह स्कूटी मैने व मेरे साथी नितिन उर्फ बाबा ने दरियागंज से पूछताछ करने पर अभि0 0 दिल्ली से चोरी की थी, जिसे आज बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- 1- दीपक पुत्र कालीचरन नि0 विष्णु गार्डन भागमल चौक के पास थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष ।
- 2- नितिन उर्फ बाबा (भागा हुआ)

अभियुक्त दीपक का आपराधिक इतिहास: -

- 1- मु0अ0सं0 372/022 धारा 307(पु0मु0) भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 374/22 धारा 3/25/27 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 3- मु0अ0सं0 373/22 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 4- ई-एफआईआर न0 013233/2022 धारा 379 भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली
- 5- मु0अ0सं0 115/19 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 6- मु0अ0सं0 587/17 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 7- मु0अ0सं0 589/17 धारा 411 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।
- 8- मु0अ0सं0 832/21 धारा 392/506/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद ।
- 9- मु0अ0सं0 15635/17 धारा – 379/411/34 भादवि थाना सीलमपुर दिल्ली
- 10- मु0अ0सं0 1140/13 धारा 307/504/506 भादवि थाना लोनी बोर्डर
- 11- मु0अ0सं0 345/11 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
- 12- मु0अ0सं0 146/16 धारा 395/511 भादवि दिल्ली ।
- 13- मु0अ0सं0 3013/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी गा0बाद ।
- 14- मु0अ0सं0 1666/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी गा0बाद ।
- 15- मु0अ0सं0 344/11 धारा 398/401 भादवि थाना लोनी गा0बाद ।
- 16- मु0अ0सं0 768/12 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गा0बाद ।

अभियुक्त दीपक से बरामद का विवरण-

1 .एक तमंचा वोर । 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315

2 .एक स्कूटी एक्टवा चैसिंस न 0ME4JF507JH 8150357



प्रेस नोट

मु0अ0सं0-50/2022 धारा 363/376 भादवि व 5एल/6 पोक्सो अधिनियम थाना
निवाडी जनपद गाजियाबाद में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.06.2022

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित व्यक्ति/रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, के नेतृत्व में थाना हाजा के मु0अ0सं0-50/2022 धारा 363/376 भादवि व 5एल/6 पोक्सो अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त 1-आदेश उर्फ सिन्टू उम्र 26 वर्ष पुत्र राम अवतार शर्मा निवासी ग्राम उजैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को अबूपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री दीपिका को भगाकर ले जाना।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-आदेश उर्फ सिन्टू उम्र 26 वर्ष पुत्र राम अवतार शर्मा निवासी ग्राम उजैडा
थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद
- 2-का0 3885 शिवम कुमार थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद
- 3-का0 3739 नीरज कुमार थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0-50/2022 धारा 363/376 भादवि व 5एल/6 पोक्सो अधिनियम
थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद



प्रेस नोट थाना टीला मोड़ दि0- 4-6-2022

थाना टीलामोड़ की पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों को एक स्कूटी पर दिल्ली प्रान्त की कैन 94 बीयर व दो अदद बोतल अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को दिल्ली प्रान्त की दो अभियुक्तों को एक स्कूटी पर दिल्ली प्रान्त की 94 कैब बीयर व दो अदद बोतल अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 4/06/00 को रात्रि समय करीब 2022. बजे 45एम के रेस्टोरेन्ट चौराहे के पास चैकिंग के दौरान थाना पुलिस टीम द्वारा 1 अभियुक्तों 02. ध्रुव सिघल पुत्र मुकेश सिघल निवासी 1090/शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी 2 जनपद मेरठ. अनुज रस्तोगी पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी म482 0न0/शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ को गिरफ्तार 2 किया गया जिनके कब्जे से अलग अलग क्रमश अदद शराब की बोतल 02 कैब बीयर व 46 कैब बीयर व 48 न0 नाजायज शराब दिल्ली मार्का व शराब परिवहन करने में प्रयुक्त स्कूटी रजि0UP15BB6532 के साथ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु258 0अ0सं0/60 धारा 22/63/बनाम ध्रुव सिघल उपरोक् आबकारी अधि0 72त व मु259 0अ0सं0/60 धारा 22/63/बनाम अनुज रस्तोगी उपरोक्त आबकारी अधि0 72 पंजीकृत किये गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -:

1. ध्रुव सिघल पुत्र मुकेश सिघल निवासी 1090/2 शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ
2. अनुज रस्तोगी पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी म0न0 482/2 शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण-

- 1- 48 कैब बीयर अभियुक्त ध्रुव सिघल के कब्जे से
- 2- 46 कैब बीयर व 2 अदद बोतल अभियुक्त अनुज रस्तोगी के कब्जे से
- 3- बीयर व शराब परिवहन करने में प्रयुक्त एक अदद स्कूटी रजि0 न0 UP15BB6532

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 258/22 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 बनाम ध्रुव सिघल थाना टीला मोड गा0बाद
2. मु0अ0सं0 259/22 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 बनाम अनुज रस्तोगी थाना टीला मोड गा0बाद अधि0 के अन्य अपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।





प्रेस नोट

थाना साहिबाबाद -जनपद गाजियाबाद थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 0अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से एक 2 अदद चाकू नाजायज बरामद । 02 अदद स्कूटी चोरी मय

दिनांक 04.06.2022

कार्यवाही: -कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 04/06/01 समय करीब 2022.30 AM माल गोदाम के पास राजेन्द्र नगर से अभियुक्त गण 1. अमन पुत्र रामदास निवासी गली नमहेन्द्र त्यागी का मकान पहलाद गढी 198 म0न0 2 0 थाना इन्द्रापुरम गा0बाद, 2. इन्तजार पुत्र आजाद हुसैन निवासी मइरशाद गार्डन गरिमा गार्डन थाना 25 एच 0न0 अदद 02 टीला मोड गा0बाद को एक अदद स्कूटी चोरी मय चाकू नाजायज बरामद सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ की गयी तो दोनो लडको ने एक साथ बताया कि साहब गलती हो गयी । यह स्कूटी हम दोनो ने लगभग एक साल पहले शास्त्री पार्क दिल्ली से चोरी की थी । व

आज भी चोरी करने की फिराक में थे । दोनो अभियुक्तगण से एक एक चाकू बरामद हुआ-

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अमन पुत्र रामदास निवासी गली नमहेन्द्र त्यागी का मकान पहलाद म0न0198 02 गढी थाना इन्द्रापुरम गा0बाद, उम्र वर्ष 20



2.इन्तजार पुत्र आजाद हुसैन निवासी म 25 इरशाद गार्डन गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गा0बाद उम्र 25 एच 0न0
वर्षअभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 799/22 धारा 398/बनाम अमन व इंतजार उपरोक्त भादवि0 401

मु800 0अ0स0/ 22धारा बनाम अमन व इंतजार उपरोक्त भादवि0 411

मु801 0अ0स0/4 धारा 22/ आर्म एक्ट बनाम अमन उपरोक्त 25

मु802 0अ0स0/4 धारा 22/आर्म एक्ट बनाम इंतजार उपरोक्त 25

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ श्री रामवीर सिंह 0नि0

है ऋषि कुमार 1322 0का0

का जयसिंह 1254 0

का सत्यपाल चाहर 881 0

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद स्कूटी एक्टिवा ग्रे कलर न0 DL5SBE3941 व इंजन न 0JF50E81166870, चैचिस न 0
M4JF5026E8166353 स्कूटी चोरी जो ईएफआईआर न02355 0/दिल्ली भादवि0 379 धारा 21

2. अदद चाकू नाजायज 02



दिनांक 04.06.2022

प्रेस नोट

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 01 शातिर किस्म का अभियुक्त 01
अदद चाकू के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 03.06.2022 को थाना लिंक

रोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि० भोला पुत्र शंकर राय नि० गली नं० 12, सुरजीत का मकान ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड गा०बाद को सीएल कम्पनी के पास से एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -:

1. भोला पुत्र शंकर राय नि० गली नं० 12, सुरजीत का मकान ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड गा०बाद ।

गिरफ्तारी घटनास्थल

सीएल कम्पनी के पास

दिनांक 03.06.22 समय 2022.बजे 30

बरामदगी का विवरण -

1. 01 अदद चाकू

आपराधिक इतिहास - पंजीकृत अभियोग का विवरण /

1. मु०अ०स० 203/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद
2. मु०अ०स० 110/22 धारा 411/414/35 भादवि थाना लिंकरोड गा०बाद
3. मु०अ०स० 111/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

श्री बिजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक

उअंकित तरार 0नि०

का भवि कुमार 2069 0

का पवन कुमार 138 0



प्रेस नोट

दिनांक-04.06.2022(गाजियाबाद) थाना कविनगर ----

थाना कविनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु/654 030सं22 धारा 2/गैंग स्टर 3 के वांछित अभियुक्त निशान्त पुत्र सतपाल प्रजापति निवासी भोवापुर थाना

04 मुरादनगर गाजियाबाद को दिनांक.06.13 को समय 2022.बजे डीडीपीएस 50 चौराहा थाना क्षेत्र कविनगर से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिसके द्वारा द्वारा गैंग बनाकर आम जनता मे भय व्याप्त कर लूट जैसी जघन्य घटनाए कारित कर अवैध धन अर्जित किया है जिसके विरुद्ध संगीत धाराओ मे कई अभियोग पंजीकृत है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

निशान्त पुत्र सतपाल प्रजापति निवासी भोवापुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष । 21

आपराधित इतिहास अभियुक्त निशान्त उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 654/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 182/22 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1585/21 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1262/21 धारा 392/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1900/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1153/21 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरपाल सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. है0का0 1402 इरफान हुसैन थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. का0 1381 मुकेश कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. का0 12 कुन्दन सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।



एसओजी ग्रामीण एवं थाना भोजपुर पुलिस द्वारा महिंद्रा पिकअप सवार थाना भोजपुर से गौ तस्करी में वांछित बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 02 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र एवं गाय काटने के औजार रस्सी एवं गाड़ी में लदी हुई गाय सहित गिरफ्तार 

● कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 04.06.2022 को एसओजी टीम एसपी ग्रामीण एब थाना भोजपुर पुलिस द्वारा फरीद नगर से रोड के पास वाले रास्ते पर महिंद्रा पिकअप नंबर DL1LAF-8904 पर सवार गोकशी के लिए ले जाई जा रही गाय के साथ गौ तस्करों एवं लोनी बॉर्डर पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान (1)- शहजाद पुत्र नवाब निवासी खिरबा जलालपुर थाना सरधना मेरठ (2) आस मोहम्मद पुत्र अता हुसैन निवासी

समर गार्डन थाना थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ पैर मे गोली लगने से घायल हुआ है गिरफ्तार अभियुक्त पर करीब 01 दर्जन से अधिक लूट/गोकशी/हत्या/ हत्या का प्रयास आदि के अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है □

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त शहजाद ने बताया की मैं और मेरे अन्य 03 साथी नौशाद,शाबाज,आसू के साथ मिलकर आवारा पशुओं को जंगल में ही काट कर ₹200 प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली जामा मस्जिद हाजी जी की दुकान पर ड्राइवर आस मोहम्मद के महिंद्रा पिकअप में लादकर बेच आते हैं तथा हम लोगो ने इससे पूर्व गाजियाबाद के मुरादनगर/ भोजपुर क्षेत्र/पाबली/ मुजफ्फरनगर/बुलंदशहर आदि क्षेत्रों में गोकशी की घटना कर चुके हैं तथा आज भी आवारा गायो को काटने हेतु लाद कर ले जा रहे थे कि पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान पैर मे गोली लगने से घायल हो गया और पकड़ा गया और मेरे अन्य साथी मौके से फरार हो गए

गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पता

1- शहजाद पुत्र नवाब निवासी खिरवा जलालपुर थाना सरधना मेरठ

2- आस मोहम्मद पुत्र अता हुसैन निवासी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट
मेरठ (ड्राइवर)

फरार अभियुक्तों के नाम पते

1-नौशाद पुत्र नवाब निवासी खिरवा जलालपुर थाना सरधना मेरठ

2-आंसू पुत्र मोहम्मद नूर निवासी उपरोक्त

3-शाबाज पुत्र नासिर निवासी मुरलीपुर थाना कंकरखेड़ा

बरामदगी का बिबरण

1-02 तमंचा 315 बोर मय जिंदा ब खोखा कारतूस

2- एक महिंद्रा पिकअप नंबर DL1LAF-8904

3- गोकशी के लिए ले जाई जा रही तीन गाय

4- गाय बांधने के लिए रस्सी एवं 02 छुरा तथा गडाशा इत्यादि

अपराधिक इतिहास शहजाद पुत्र नवाब

1- मु.अ.सं.450/2019 धारा 392/411 IPC थाना कोतबाली बुलंदशहर

2-मु.अ.सं.502/2016 धारा 379/411/429 IPC एब 3/11 CS एक्ट थाना
सरधना मेरठ

3-मु.अ.सं.686/2008 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम थाना कंकरखेड़ा
मेरठ

- 4-मु.अ.सं.295/2020 धारा 379/411 IPC थाना सरधना मेरठ
- 5-मु.अ.सं.297/2020 धारा 3/25 A.Act थाना सरधना मेरठ
- 6- मु.अ.सं.347/2015 धारा 147/148/149/307/452/373/504/506
IPC थाना बुढाना मुजफ्फरनगर
- 7-मु.अ.सं.215/2015 धारा 2/3 धारा गैंगस्टर एक्ट थाना सरधना मेरठ
- 8-मु.अ.सं.296/2020 धारा 307 IPC थाना सरधना मेरठ
- 9-मु.अ.सं.493/2016 धारा 302 IPC थाना सरधना मेरठ
- 10-मु.अ.सं.452/2019 धारा 3/25 A.Act कोतवाली बुलंदशहर
- 11-मु.अ.सं.397/2020 धारा 3/25 A.Act थाना सरधना मेरठ
- 12-मु.अ.सं.175/2020 धारा 3/5A/8 थाना भोजपुर गाजियाबाद (बाछित)
- 13-मु.अ.सं.123/2022 धारा 3/5/8 थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 14-मु.अ.सं.451/2019 धारा 307 IPC थाना कोतवाली बुलंदशहर



